कार्यालय

संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म

मध्यप्रदेश

29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल

फोन एवं फैक्स 0755–2551795 e-mail : dirgeomn@mp.nic.in

भोपाल दिनांक 5/9/17

क्रमांक /लेखा/बजट/2017-18

प्रति,

कलेक्टर एवं उपाध्यक्ष
जिला खनिज प्रतिष्ठान,
जिला .... (म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 1057/आर./डीएमसी/चार/2017 भोपाल दिनांक 21 अगस्त 2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 21 अगस्त 2017 (प्रति संलग्न है।) से वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र की कंडिका क्रमांक (13) के अनुसार मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के नियम 13 (2) (ड.) के तहत जिला प्रतिष्ठान से राज्य खनिज निधि में राशि हस्तांतरित की जानी है।

म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 29/05/2017 (प्रति संलग्न है।) से वित्त विभाग के निर्देशानुसार म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 अंतर्गत जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा होने वाली राशि के नियम 13 (2)(ड.) के अनुसार राज्य खनिज निधि में राशि के हस्तांरण/जमा किये जाने हेतु "संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र." के नाम से राज्य खनिज निधि का विन्ध्याचल कोषालय भोपाल में पी.डी. खाता क्रमांक 61 खोला गया है। जिला खनिज प्रतिष्ठान के संचालित बैंक खाता से नियमानुसार राज्य खनिज निधि के उक्त पी.डी. खाते में राशि हस्तांतरण करने हेतु साईबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाईन राशि जमा की जानी है। इस हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा साईबर ट्रेजरी के पोर्टल पर PD (Mining) का लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से राज्य खनिज निधि खाते में राशि ऑनलाईन जमा/हस्तांतरित की जा सकती है। परिशिष्ट- 1, 2 एवं 3

अतः अनुरोध है कि म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य खनिज निधि के हस्तांतरण योग्य राशि की नियमानुसार गणना कर वर्षवार राज्य खनिज निधि के संचालित पी.डी. खाता क्रमांक 61 में कृपया तत्काल जमा/अंतरण कराने का कष्ट करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

संचालक

17020

पृ. क्रमांक ***/लेखा/बजट/2017-18*** **भोपाल दिनांक** 5/9/17

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. **संचालक बजट,** म.प्र. शासन वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, एमईडीएस (शाखा) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, खनि (शाखा) जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक